सच्चर समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

(31 दिसम्बर, 2014 तक की स्थिति रिपोर्ट)

पृष्ठभूमि

➢ भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी।

- **सच्चर समिति का गठन – 9 मार्च, 2005**
- **रिपोर्ट प्रस्तुत – 17 नवम्बर, 2006**
- **संसद में प्रस्तुत – 30 नवम्बर, 2006**
- **मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की सूची – 17 मई, 2007**

➢ सरकार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर कई निर्णय लिए हैं और इस संबंध में दिनांक 31.08.2007 को संसद के दोनों पटलों पर एक विवरण रखा गया था।

- **रिपोर्ट में कुल अनुशंसाएं/सुझाव – 76**
    - **सरकार द्वारा 72 अनुशंसाएं स्वीकृत**
    - **3 अनुशंसाएं स्वीकृत नहीं की गई थी।**
    - **1 अनुशंसा आस्थगित कर दी गई थी।**

अस्वीकृत/आस्थगित अनुशंसाएं

➢ निम्नलिखित तीन अनुशंसाएं (i), (ii) और (iii) को सरकार ने नहीं स्वीकारा था तथा अनुशंसा सं0 (iv) आस्थगित रखी गयी थी :

(i) जातियों/वर्गों की गणना/जनगणना दस वर्ष के अंतराल पर किया जाना।

(ii) राज्य वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखने हेतु अधिकारियों के नए अखिल भारतीय संवर्ग का सृजन किया जाना।

(iii) सभी सामाजिक, धार्मिक समुदायों में अति पिछड़े लोगों को नियमित विश्वविद्यालयों और स्वायत महाविद्यालयों में प्रवेश सुलभ कराने हेतु वैकल्पिक प्रवेश मानदंड का प्रावधान किया जाना।

(iv) अरजलों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना अथवा कम–से–कम अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे में से ही अलग बनाए गए अति पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना।

सरकार के निर्णयों का कार्यान्वयन

➢ 72 स्वीकृत अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने समान स्वरूप की अनुशंसाओं को आमेलित करके 43 निर्णय लिए।

➢ ये निर्णय व्यापक और सभी अधिसूचित अल्पसंख्यकों को सम्मिलित करते हैं।

➢ सच्चर समिति की 43 अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के तहत रखा गया है : –

I. **शिक्षा (15 निर्णय)**
II. **कौशल विकास (2 निर्णय)**
III. **ऋण सुलभता (6 निर्णय)**
IV. **विकास से जुड़ी विशेष पहलें (2 निर्णय) –** एमएसडीपी, जेएनएनयूआरएम
V. **सकारात्मक कार्रवाई हेतु उपाय (4 निर्णय)** – समान अवसर आयोग, विविधता सूचकांक, राष्ट्रीय डाटा बैंक तथा मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण।
VI. **वक्फ (4 निर्णय)**
VII. **विविध (10 निर्णय) –** साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण) विधेयक, मल्टी मीडिया अभियान, परिसीमन अधिनियम, सुग्राहीकरण आदि।

- इन निर्णयों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दिया गया है।

- सभी 43 निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है। कुछ निर्णयों को पहले ही क्रियान्वित किया गया है। शेष निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सतत स्वरूप की है। सरकार के निर्णयों पर की गई कार्रवाई स्थिति नीचे दी गई है:

<u>सरकार द्वारा सच्चर समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति</u>

1. शिक्षा

क्रम सं.	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	सच्चर समिति द्वारा बताए गए मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछडेपन का समाधान बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यनीति में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा – **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि राज्य सरकार की नीति के तहत उन क्षेत्रों में सर्व–शिक्षा अभियान के तहत "केवल बालिका" उच्चतर प्राइमरी स्कूल खोले जाने को प्राथमिकता दी जाए, जिन क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसकी मांग हो। आठ राज्यों नामतः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने उच्चतर प्राइमरी स्तर के "केवल बालिका" विद्यालय खोल लिये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 2006–07 से 31.09.2014 तक निम्नलिखित कार्य शुरू किये गये हैं : – **प्राथमिक विद्यालय निर्मित – 16196** **उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्मित – 8160** **अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्मित – 237161** **खोले गये नये प्राथमिक विद्यालय – 21486** **खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालय – 11871** **अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या – 125435** **स्वीकृत केजीबीवी की संख्या – 555** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं नामतः मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रारंभ से लेकर दिनांक 31.12.2014 तक प्रदान की गई छात्रवृत्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: **मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति : 328.73 लाख** **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति : 35.39 लाख** **मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति : 4.08 लाख** **प्रदान की गई कुल छात्रवृत्तियां : 368 लाख** 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित है।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
2.	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेषकर मुस्लिम बालिकाओं के लिए उच्चतर प्राथमिक स्कूलों का विस्तार यथापेक्षित "केवल बालिका" स्कूल के माध्यम से किया जाना चाहिए और आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) प्राथमिकता आधार पर खोले जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	(1) सर्व शिक्षा अभियान में यह वचनबद्धता है कि एक किलो मीटर और तीन कि. मी. के भीतर क्रमशः प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करनी सुनिश्चित किया जाए। (2) अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में वर्ष 2006–07 से 555 कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं और सभी परिचालन में हैं। (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने यह भी अनुदेश जारी किया है कि	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

		चूंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को स्कूल राज्य की नियमित उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रणाली के भाग हैं, इसलिए राज्य सरकार/संघ राज्य की विशिष्ट नीति उर्दू माध्यम में अनुदेशन हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्कूलों के लिए अपनायी जाए। इस प्रयोजनार्थ प्रणाली में उपलब्ध उर्दू अध्यापकों को तैनात किया जाना चाहिए। इन 555 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्ष 2013–14 में मुस्लिम छात्राओं का दाखिला 16.39% था। इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मुस्लिम बालिकाओं के दाखिले में बढ़ोत्तरी करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सतत प्रयास किये गये हैं। अल्संख्यक समुदायों से संबंधित बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों से जुलाई, 2013 में अनुरोध किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सर्वाधिक अरक्षित/बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं का तत्काल केजीबीवी में दाखिला कराया जाए ताकि उनके अवसरों को बढ़ाया जा सके।	
3.	माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य के अनुसरण में यथाआवश्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। **–मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	(1) माध्यमिक स्तर पर गुणवता परक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए एक योजना नामतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) अनुमोदित हुई है। योजना के तहत यह परिकल्पित है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उच्च गुणवता वाले सरकारी स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नये/उन्नत स्कलूों की स्थापना को प्राथमिकता दें। (2) वर्तमान में, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वीकृत माध्यमिक विद्यालय कुल स्वीकृत का 11.26% है तथा 9.35% विद्यालय कार्यरत है। वर्ष 2009–10 से अगस्त 2014 तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान 10513 माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 9239 ने कार्य करना शुरु कर दिया है। 10513 नए विद्यालयों में से 1184 (11.26%) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वीकृत किए गए है, जिसमें से 864 ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त, 2014 तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित 2,369 माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण हेतु संस्वीकृत किया गया है।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
4.	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढावा देने के लिए तथा साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए मुस्लिम बहुल सभी जिलों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। समग्र साक्षरता दर विशेषकर मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 11वीं योजना के दौरान 70 मिलीयन गैर–साक्षर वयस्कों को योजना के अंत तक साक्षर बनाने के उद्देश्य से 08.09.2009 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक नई किस्म की "साक्षर भारत" योजना शुरू की है। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 12 मिलियन मुस्लिमों (10 मिलियन महिला 02	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

	में सुधार लाने के लिए इन जिलों में विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	मिलियन पुरूषों) को कवर करने का प्रस्ताव है। साक्षर भारत 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें महिला साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 50% अथवा उससे कम है। मौलाना आजाद तालीम–ए–बालिधान समग्र साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत एक लक्षित अभिकेंद्रित पहल मुस्लिमों खासकर महिलाओं में साक्षरता सुधार लाने हेतु फरवरी, 2014 में शुरू की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक व्यापक अभियान मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रकॉनिक), मुस्लिम समुदाय में प्रचलित लोक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाकलापों में साक्षरता की मांग को सृजित करने और इसके लाभों का प्रचार करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए अभिकल्पित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत, राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) 11 राज्यों में स्थापित किए गए हैं, साक्षर भारत के अंतर्गत 61 एमसीडी कवर किए गए हैं। इस संबंध में अद्यतित सूचना उपलब्ध कराई जाए। यह सूचित किया गया था कि वर्ष 2014–15 के लिए एनएलएमए द्वारा अनुमोदित एसआरसी की वार्षिक कार्य योजनाओं में समुचित बजट प्रावधान रखा गया है।	
5.	मुस्लिम बहुल आबादी वाले सभी जिलों में नए जन शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जो ऐसे संस्थानों से कवर नहीं किए गए हैं। **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	जन शिक्षण संस्थान देश में 88 मुस्लिम बहुल जिलों में से 33 में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले अतिरिक्त जिलों को शामिल करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2012–13 के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज 12.2% था। वर्ष 2013–14 (अक्तूबर, 2013 तक) में 248757 लाभार्थियों में से 30629 (12.31%) अल्पसंख्यकों से संबंधित थे। एमएचआरडी ने मौलाना आजाद तालीम–ए–बालीघन पहल के अंतर्गत मुस्लिम बहुल जिलों में 10 नए जेएसएस स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
6.	मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन (बीआईटीई) खोले जाएंगे ताकि अध्यापकों को प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सकैन्ड्री स्तर पर सेवा से पहले और सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिया जा सके। **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	12वीं योजना में केंद्र प्रायोजित स्कीम में अन्य बातों के साथ–साथ 196 अ.जा./अ.ज.जा/अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बीआईटीई स्थापित किए जाने की संकल्पना है, जो उन मानदंडों पर आधारित है, जिसे बीआईटीआई की स्थापना के लिए जिले को चिन्हित किया गया है। इसमें 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया गया है। वर्ष 2012–13 से अगस्त, 2014 तक विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कुल 51 बीआईटीई अनुमोदित किए गए हैं।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
7.	11वीं योजना के दौरान कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावास खोले जाने के लिए किए गए आंवटन में वृद्धि की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रावास	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में 11वीं योजना के दौरान 285 महिला छात्रावासों की स्वीकृति दी है। दिनांक 31.03.2014 तक, राष्ट्रीय स्तर पर 123.48 करोड़ रु0 की राशि के साथ अनुमोदित 604 महिला छात्रावासों में से 136 को 10.5 करोड़ (8.5%) राशि के साथ एमसीडी में अनुमोदित/संस्वीकृत किए गए हैं।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

	खोले जाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	वर्ष 2014–15 के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर 851.45 करोड़ रु0 की राशि के साथ संस्वीकृत 69 छात्रावासों में से 19 (27.53%) को 26 लाख रु0 (0.03%) की राशि के साथ एमसीडी में अनुमोदित/संस्वीकृत किए गए हैं।	
8.	क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी और इस कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु पात्र घटकों को बढावा देने के लिए योजना में संशोधन किया जाएगा। **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम दो योजनाओं के रूप में नामतः 'मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम)' और 'निजी सहायता प्राप्त/गैर–सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों (एलीमेंट्री/सेकेन्ड्री/सीनियर सेकेन्ड्री स्कूलों) हेतु अवर्सरचना विकास की योजना' के रूप में शुरू की गई है। यह योजना मांग प्रेरित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 283.53 करोड़ रु0 की राशि के साथ एसपीक्यूईएम के अंतर्गत 12739 मदरसों और 30507 अध्यापकों को सहायता दी गई है। 12वीं योजना में, वर्ष 2012–13 के दौरान, कुल 182.49 करोड़ रु0 की स्वीकृत राशि के साथ एसपीक्यूईएम के अंतर्गत, 9905 मदरसों और 23,146 अध्यापकों को सहायता दी गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान, कुल 182.73 करोड़ रु0 की स्वीकृत राशि के साथ 14859 मदरसों और 35376 अध्यापकों को सहायता दी गई है। आईडीएमआई के अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कुल 403 अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता दी गई और 75.40 करोड़ रु0 जारी किए गए। 12वीं योजना में, वर्ष 2012–13 के दौरान 184 अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता दी गई और 28.38 करोड़ रु0 जारी किए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान 229 अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता दी गई और 24.99 करोड़ रु0 जारी किए गए।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
9.	मध्याह्न भोजन योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए विस्तार दिया जा रहा है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े मुस्लिम बहुल ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। **– मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	मध्याह्न भोजन योजना को वर्ष 2007–08 से देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाता है। मदरसों के बच्चों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। योजना आयोग ने अ0जा0, अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित निजी रूप में प्रबंधित गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए योजना के विस्तार का अनुमोदन किया है, जिसमसे एमसीडी और विशेष फोकस वाले जिलों में 29116 स्कूलों में लगभग 60.37 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। एमएचआरडी ने सूचित किया है कि एमडीएम के मानकों में संशोधनों/आशोधनों के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक दिनांक 30.01.2014 को	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

		आयोजित की गई थी, जिसमें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अ0जा0/अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिए जाने वाले जिलों (एसएफडी) में निजी स्कूलों के लिए एमडीएम योजना के विस्तार के संघटक और आरटीआई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश पाये 25% बच्चों के दायरे को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्कूलों में अवस्थित पूर्व–प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के कवरेज को बढ़ाने पर योजना के व्यापक समीक्षा के पश्चात क्रियान्वयन हेतु विचार–विमर्श किया जाएगा। ईएफसी ने नोट किया है कि एमडीएस योजना के विस्तार का उक्त प्रस्ताव व्यापक समीक्षा के पश्चात बाद में एमएचआरडी द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा यदि एमएचआरडी द्वारा ऐसा परिवर्तन करना जरूरी समझा जाता है।	
10.	विद्यमान स्कूलों और समुदाय भवनों का इस्तेमाल संध्याकालीन अध्ययन केन्द्र के रूप में किया जा सकता है तथा शिक्षकों को उन छात्रों तथा छात्राओं को मानदेय आधार पर पढाने के लिए रखा जा सकता है जो अपने संरक्षक के साथ आ सकें। **– मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है कि विद्यमान स्कूलों और समुदाय भवनों का इस्तेमाल स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में करें। इस संबंध में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को समय–समय पर अनुस्मारक भेजे गए हैं।	**क्रियान्वित।**
11.	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा –2005 में भारतीय संविधान के तहत वर्णित सामाजिक न्याय, समता और धर्म निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर समाज में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ किए जाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा –2005 के अनुसरण में पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किया जा रहा है। **– मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	एमएचआरडी ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, 2005 की अनुशंसाओं के आधार पर एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रमों का संशोधन किया है और स्कूली बच्चों के सभी चरणों के लिए सभी विषयों पर नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की है। पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण माध्यमिक और उच्चतम शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा किया गया है। भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, भौतिकि, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान और गणित के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरणों की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की गई है और अद्यतित किया गया। पाठ्यक्रम सभी राज्य सरकारों द्वारा या तो संशोधन करके अथवा पड़ोसी राज्यों के पाठ्यक्रम को अपना कर संशोधित किया गया है। प्राथमिक चरण पर, 21 राज्यों और 04 पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्रों ने संशोधित राज्य पाठ्यक्रम सामग्री को क्रियान्वित किया है। 06 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों ने एनसीईआरटी द्वारा द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम सामग्री का अंगीकार किया है। त्रिपुरा अपने पाठ्यक्रम सामग्री को संशोधित करने की प्रक्रिया है।	**क्रियान्वित।**

		उच्च प्राथमिक चरण पर, 17 राज्यों और 04 संघ राज्य क्षेत्रों ने संशोधित राज्य पाठ्यक्रम सामग्री क्रियान्वित किया है। 10 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों ने एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम का अंगीकार किया है। त्रिपुरा पाठ्यक्रम सामग्री संशोधित करने की तैयारी में है।	
12.	उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृति मुस्लिमों की अपेक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में तेजी से बढती जा रही है। इसकी आगे जांच की जाएगी। **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	इस मुद्दे का समाधान करने के लिए नेशनल यूनीवर्सिटी फोर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) द्वारा अध्ययन कराया गया था। अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी जांच की गई है। एनयूईपीए रिपोर्ट में, सिफारिश किए गए अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक स्थायी समिति गठित की गई है, जिसे अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी करने तथा अल्पसंख्यकों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से संशोधनों का सुझाव देने का अधिदेश प्राप्त है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के दाखिले के संबंध में डाटा विकसित करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।	**क्रियान्वित।**
13.	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जे की मंजूरी को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए एक तंत्र पहले से कार्यरत है। मदरसों की शिक्षा को उच्चतर शिक्षा के लिए समकक्ष माने जाने के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होता रहा है। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने मदरसा शिक्षा को पहले ही मान्यता प्रदान कर रखी है। **– मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के दर्जे की मंजूरी हेतु तंत्र को अत्यधिक प्रभावी बनाने के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अधिष्ठापित शैक्षिक अधिकारों का वास्तविक आयाम मुस्लिमों सहित अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सके। मदरसा बोर्डों के प्रमाण–पत्रों/योग्यताओं जिन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा अपने माध्यमिक तथा सीनियर सेकेण्डरी योग्यता के समतुल्य मंजूरी दी गई है, को रोजगार और उच्च स्तर की शिक्षा में प्रवेश के प्रयोग हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) तथा अन्य स्कूल परीक्षा बोर्डों के प्रमाण–पत्रों के बराबर कर दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि 2005 से जुलाई, 2013 तक 8419 प्रमाण–पत्र अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को प्रदान करने के लिए जारी किए गए हैं।	**क्रियान्वित।**
14.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं, कोचिंग और संबद्ध योजना तथा शिक्षा के विकास हेतु अन्य योजनाएं लागू की जाएगी।	मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है – **(क) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना** **(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** **(ग) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना** उपर्युक्त तीन छात्रवृत्ति योजनाएं क्रमशः कक्षा 1 से	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

	– **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	10वीं, 11वीं से पीएचडी तक तथा अंडर–ग्रेजूएट तथा पोस्टग्रेजूएट स्तर के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके प्रारंभ से लेकर वर्ष 2013–14 तक 3.02 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत 5608.74 करोड़ रु0 की निधियां जारी की जा चुकी हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 30.09.2014 तक 66.61 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 1326.11 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं। **मौलाना आजाद अध्येतावृत्ति योजना :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से, जो कार्यक्रम शुरु किए जाने से 2012–13 तक अल्पसंख्यक समुदायों के अध्येतावृत्ति के लिए एक नोडल एजेंसी है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत 3020 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं। वर्ष 2013–14 के दौरान, कुल 3,776 अध्येतावृत्तियां (756 नई और 3,020 नवीकरण) प्रदान की गई है। वर्ष 2014–15 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई क्योंकि उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। **कोचिंग एवं संबद्ध योजना :** संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना 2006–07 में शुरू की गई थी। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 27876 विद्यार्थी लाभान्वित हुए और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत 54.61 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, (2013–14 तक) वर्ष 2012–13 के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 16713 विद्यार्थी लाभान्वित हुए और 37.65 करोड़ रु0 जारी किए गए। वर्ष 2014–15 के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 6314 विद्यार्थी लाभान्वित हुए और दिनांक 30.12.2014 तक 23.49 करोड़ रु0 जारी किए गए।	
15.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की जाएगी तथा इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार कर उसे कारगर बनाया जाएगा। – **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि 11वीं पंचवर्षी योजना के दौरान 200 करोड़ रु. से बढ़ाकर 750 करोड़ रु0 कर दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाकर 1250 करोड़ रु. कर दिया जाएगा। एमएईएफ में मौजूदा संचित निधि 1023 करोड़ रु0 है।	**क्रियान्वित।** एमएईएफ का प्रचालन सुकर बनाया जा रहा है।

2. कौशल विकास

क्रम सं.	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	मुस्लिमों में कौशल और उद्यमिता विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और उसकी योजना बनाने हेतु श्रम और रोजगार	कौशल विकास के लिए एक त्रि–स्तरीय सांस्थानिक संरचना मई, 2013 तक केंद्रीय स्तर पर कार्यरत थी, जिसमें कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद (पीएमएनसीएसडी), योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीबी)	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

	मंत्रालय, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र आधारित उद्योग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (बैंकिग) और औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक अंतरमंत्रालयीन दल गठित किया जाएगा ताकि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को त्वरित एवं समुचित ढंग से प्राप्त हो सके। कौशल और उद्यमिता विकास की जरूरत की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न किया जाएगा। – **योजना आयोग**	और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) शामिल था। तथापि, सरकार के निर्णय के अनुसार पीएएनसीएसडी, एनएसडीसीबी और कौशल विकास पर ऑफिस ऑफ एडवाइजर ऑफ पीएम को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी में मिला दिया गया है। एनएसडीए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत निकाय है और इसकी स्थापना अन्य बातों के साथ–साथ, 12वीं योजना और उसके बाद के कौशल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों का समन्वय करने और संगत बनाने तथा सामाजिक, क्षेत्रीय, जेंडर और आर्थिक विभाजन को पाटने के प्रयास हेतु किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि एनसीवीटी से संबद्ध 10750 में से 1498 आईटीआई/आईटीसी (14%) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित हैं, इनकी क्षमता 2,34,203 सीटों की है। योजना आयोग ने सूचित किया है कि कौशल विकास और उद्यमिता के लिए अलग से एक विभाग स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत कुल आवंटन का 10% कौशल प्रशिक्षण के लिए निर्धारित है। और विकास की कमी को पूरा करने के लिए एमएसडीपी के अंतर्गत, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए 118 आईटीआई और 45 पोलीटेक्नीक संस्वीकृत किए गए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु सितंबर, 2013 में 100% केंद्रीय क्षेत्र योजना "सीखो और कमाओ" नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना हेतु 12वीं योजना के लिए 60 करोड़ रु0 परिव्यय है।	
2.	नाबार्ड और सिडबी परम्परागत व्यवसायों में दस्तकारों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें आधुनिक कौशलों से पुनः सज्जित करने विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, ईडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निधिया निर्धारित करने की सलाह दी जाएगी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी के लिए गठित एक अंतर–मंत्रालयीय समूह उनकी योजना में इसे एकीकृत करने की	भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंकों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के अनुदेश दिये है ताकि इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बैंकों द्वारा वित्तपोषित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ मिल सकें। वर्ष 2014–15 के दौरान (30.09.2014 तक) 1839 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए है और 13644 लाभार्थियों के लिए मुहैया करायी गई वित्तीय सहायता 90.57 करोड़ रु0 थी।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

	जांच करेगा – **वित्तीय सेवाएं विभाग।**		

3. **ऋण सुलभता**

क्रम सं.	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	मुस्लिमों के लिए ऋण सुलभता की पहुंच महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समुदाय की बड़ी आबादी स्व–रोजगार क्रिया–कलापों में लगी है। जिला योजना बनाते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिमों को आसानी और सुलभता के साथ पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो। – **वित्तीय सेवाएं विभाग**	अल्पसंख्यकों को मिल रहे प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के प्रतिशत में 2007–08 में 10.6% से 2014–15 (30.09.2014) तक 15.76% सतत वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 (30.09.2014) तक के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के पृथक–पृथक समुदाय–वार आंकड़े नीचे प्रस्तुत हैं: **मुस्लिम – 44.07%** **ईसाई – 21.59%** **सिक्ख – 24.25%** **बौद्ध – 1.91%** **पारसी – 2.80%** **जैन – 5.38%**	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोलने की सलाह दी जाएगी। – **वित्तीय सेवाएं विभाग**	31.03.2014 तक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कुल 19119 शाखाएं खोली गई हैं। वर्ष 2014–15 (30.09. 2014) के दौरान, 562 नई बैंक शाखाएं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में खोली गई हैं।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निपटान की निगरानी करेंगें और आवेदनों के अस्वीकृति के कारण भी बताएगें ताकि आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति के बारे में जानकारी हेतु पूरे अधिकारों का प्रयोग कर सकें। जिला–वार और बैंक–वार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएगें। – **वित्तीय सेवाएं विभाग**	अल्पसंख्यकों को दिये जाने वाले ऋणों की रिपोटिंग एवं निगरानी हेतु प्रपत्र तैयार किया गया है। विभाग द्वारा मुहैया करायी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2012–13 से 2014–15 (30.09.2014 तक) के दौरान प्राप्त, स्वीकृत आदि आवेदनों की संख्या के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार है : – (see table below)	**क्रियान्वित।**
4.	भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किए है कि वे मुस्लिमों को विशिष्ठ रूप से प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करें, प्रचार के माध्यम से विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करें और उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करें। – **वित्तीय सेवाएं विभाग**	वित्तीय विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान 4585 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और लाभार्थियों की संख्या 104,630 है, जबकि प्रदान की गई वित्तीय सहायता 47,545 लाभार्थियों के लिए 219.98 करोड़ रु0 है। वर्ष 2014–15 (30.09.2014) के दौरान 5,594 शाखाओं को कवर करते हुए अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 2294 नगरों/ब्लॉकों में 5,085 जागरूकता अभियान चलाए गए।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
5.	मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष रूप से क्लस्टरों में	वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2013–14 में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 4439.54 करोड़ रुपये के लघु ऋण के साथ	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक

Table within item 3:

	2012–13	2013–14	2014–15
प्राप्त आवेदन	1446507	1177192	612090
स्वीकृत आवेदन	1428660	1168338	606668
अस्वीकृत आवेदन	5083	5853	3713
लंबित आवेदन	2694	2793	1622

	महिलाओं के बीच लघु वित्त को प्रोत्साहित किया जायेगा। **– वित्तीय सेवाएं विभाग तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**	625120 खाते खोले गये हैं। 2014–15 (30.09.2014) के दौरान अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 4557.52 करोड़ रुपये के लघु ऋण के साथ 545191 खाते खोले गए हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मौजूदा स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) को प्रतिस्थापित करते हुए 24.09.2013 से 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) की शुरूआत की है। एनयूएलएम के सामाजिक संघटन एवं संस्थान विकास (एसएम एंड आईडी) संघटक में समूह बचत, आंतरिक ऋण एवं बैंक ऋण लेने के लिए स्व–सहायता समूहों में शहरी गरीबों को संगठित करने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक शहरी गरीब घर में से कम से कम एक सदस्य, प्राथमिक तौर पर एक महिला, को समयबद्ध तरीके से एनएचजी नेटवर्क के अंतर्गत लाया जएगा। इसके अलावा, 7% से अधिक की ब्याज दर पर ब्याज अनुदान बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी स्व–सहायता समूहों को उपलब्ध होगा। 3% का अतिरिक्त ब्याज इमदाद उन सभी महिला एसएचजी को उपलब्ध कराई जाएगी जो समय पर अपना ऋण चुकाते हैं। योजना के विस्तृत दिशा–निर्देशों को परिचालित किया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना को क्रियान्वित करने के लिए जोर दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने भी अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु सूक्ष्म वित्त के लिए "महिला समृद्धि योजना" नामक एक विशिष्ट योजना की शुरूआत की है।	सतत प्रक्रिया है।
6.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की पुनर्सरचना की जाएगी ताकि इसे मध्यस्थता का और अधिक कारगर साधन बनाया जा सके। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	"एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूँजी को बढ़ाने तथा इसकी पुर्नसंरचना हेतु" व्यय वित्त समिति की बैठक 22.04.2014 को आयोजित की गई थी। ईएफसी ने एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने की सहमति दे दी है तथा एनएमडीएफसी के प्रचालनों हेतु संशोधित बिजनेस मॉड्यूलों को अनुमोदित कर दिया है। एनएमडीएफसी के संशोधित बिजनेस मॉड्लों हेतु अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 30.07.2014 को मंत्रिमंडल सचिवालय को नोट भेज दिया गया है। 7.8.2014 को, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जो 20.08.2014 को इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 3.11.2014 को, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एनमएमडीएफसी से संबंधित कुछ और जानकारी प्राप्त करनी चाही है जो भेजी जा रही है।	**क्रियान्वित।** तथापि, मामला मंत्रिमंडल के समक्ष लंबित है।

4. विशेष विकास पहलें

क्रम सं.	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने तथा रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए चिन्हित पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की शुरूआत वर्ष 2008–09 में 90 चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में की गई थी। आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 04.06.2013 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 710 ब्लॉकों और 66 नगरों में कार्यान्वयन हेतु बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना को अनुमोदित किया है। वर्ष 2012–13 तक, 4,843.64 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को 3576.56 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान, 1466.98 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 958.23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान, 669.17 करोड़ रुपए की योजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 756.81 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।	**क्रियान्वित।**
2.	योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित अंतर–मंत्रालयीन कार्य बल द्वारा 25% से कम किंतु अधिकतम 50,000 की अल्पसंख्यक आबादी वाले 338 अभिनिर्धारित नगरों एवं शहरों में नागरिक सुविधाएं, अवसंरचना और आर्थिक अवसर के क्षेत्र में खामियों को दूर करने संबंधी कार्यनीति की अनुशंसा की जायेगी। **– योजना आयोग और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	डॉ. बी. एल. मुंगेकर की अध्यक्षता वाले अंतर–मंत्रालयीय कार्य बल की रिपोर्ट की समीक्षा की गई थी। अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 338 नगरों/शहरों जिनमें से 251 पिछड़े हैं, की पहचान की गई है। मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार थीं : 1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में चिन्हित खामियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है। 2. शहरी विकास मंत्रालय (जेएनएनयूआरएम) और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (बीएसयूपी) और (आईएचएसडीपी) द्वारा आधारभूत नागरिक सुविधाओं में चिन्हित खामियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है। 3. वर्ष 2010 तक वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की प्रतिशतता 15% तक बढ़ानी है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्य बल की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त सलाह दी गई है। (क) शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिक सुविधाओं में चिन्हित खामियों को दूर किया गया है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, जिसमें	**क्रियान्वित।**

		यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेएनएनयूआरएम / यूआईडीएसएसएमटी योजनाओं के अंतर्गत, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में अल्पसंख्यकों हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो, परामर्श जारी किया है। (ख) अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले पीएसएल में 2007–08 में 10.6% से 2014–15 (30.09.2014) में 15.76% तक की सतत् वृद्धि देखी गई है। (ग) पुर्नसंरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) में 12वीं योजना के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले पिछड़े नगरों / शहरों की सूची में से 66 नगरों / शहरों की पहचान की गई है।	

5. **सकारात्मक कार्रवाई हेतु उपाय :**

क्रम सं.	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना और कार्यप्रणाली की जांच और निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा। – **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	इस निर्णय के अनुपालन में 31 अगस्त, 2007 को एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। विशेषज्ञ दल ने 13 मार्च, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रयोजन के लिए गठित मंत्रियों के समूह की सिफारिशों और विभिन्न पणधारियों से प्राप्त अभिमतों / टिप्पणियों के आधार पर, समान अवसर आयोग गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने दिनांक 20. 02.2014 को आयोजित बैठक में संसद के अधिनियम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। तथापि्, आम चुनाव 2014 के उपरान्त नई सरकार के गठन के पश्चात्, नई सरकार के विचार लेने के लिए अंतर मंत्रालयीन परामर्शन हेतु प्रस्ताव को पुनः परिचालित किया गया। मंत्राालयों / विभागों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं, जिसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।	**निर्णय स्वतः कार्यान्वित किया जाता है।** तथापि, ईओसी के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।
2.	जीवनयापन, शिक्षा और कार्य अंतरों में विविधता को बढ़ावा देने के लिए समुचित "विविधता सूचकांक" की अनुशंसा करने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा – **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	सरकार के निर्णयों के अनुसार, विविधता सूचकांक संबंधी एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षा, सरकारी और निजी रोजगार और आवास के क्षेत्रों में विविधता मापने हेतु एक पारदर्शी और स्वीकार्य सूचकांक का विकास और निर्माण करना था। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ–साथ विविधता सूचकांक की धारणात्मक संरचना एवं इसके निर्माण की सिफारिश की है। चूंकि समान अवसर आयोग की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पहले ही सरकार के विचाराधीन था, अतः	**निर्णय स्वतः ही क्रियान्वित किया जाता है।** तथापि, विविधता सूचकांक का विचार ईओसी के प्रस्ताव के साथ ही विचाराधीन है।

		विविधता सूचकांक की अवधारणा को ईओसी की स्थापना के प्रस्ताव में समाहित कर लिया गया है।	
3.	एक राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना की जाएगी, जहां विभिन्न सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए संबद्ध आंकड़ों का रख–रखाव किया जाएगा – **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**	सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय डाटा बैंक वेब पृष्ठ सृजित किया है, जिसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम एवं रोजगार (जनगणना 2011 और जनगणना 2001) संबंधित विभिन्न तालिकाएं "नेशनल डाटा बैंक" लिंक के अंतर्गत अपलोड की गई हैं। वेब पृष्ठ में कुछ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्टें भी समाविष्ट हैं, जिनमें सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों के बारे में आंकड़े हैं।	**क्रियान्वित।**
4.	योजना आयोग में राष्ट्रीय डाटा बैंक द्वारा रखे जा रहे आंकडों के मूल्यांकन के लिए एक स्वायत्त मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। – **योजना आयोग**	सरकार के निर्णय के अनुसरण में, योजना आयोग में एक मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण (एएमए) स्थापित किया गया था। एएमए का कार्यकाल 15 जनवरी, 2014 को समाप्त हो गया। योजना आयोग ने एएमए को पुनर्गठित किया है और कार्यकाल 30.06.2014 तक बढ़ाया गया है। एएमए ने निम्नानुसार तीन कार्यकारी दल बनाये हैं:– **<u>कार्यकारी दल – 1 :</u>** यह दल डाटा अभिज्ञान, सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों का चयन तथा डाटा विश्लेषण, डाटा चयन तथा विश्लेषण के लिए अभिनव प्रणालियां तैयार करने इत्यादि की देख–रेख करेगा। **<u>कार्यकारी दल – 2 :</u>** यह दल सहभागिता की निगरानी तथा प्रभाव के मूल्यांकन की देख–रेख करेगा। **<u>कार्यकारी दल – 3 :</u>** यह नीतिगत अनुशंसाएं करने के संबंध में कार्यकारी दल–1 और कार्यकारी दल–2 द्वारा एकत्र की गई सूचना के संश्लेषण कार्य करेगा। सभी कार्यकारी दलों ने अपनी रिपोर्ट एएमए को प्रस्तुत कर दी है। एएमए ने अपनी रिपोर्ट 02.05.2014 को योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है।	**क्रियान्वित।**

6. वक़्फ

क्रम सं.	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय	की गई कार्रवाई	स्थिति
1.	भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद के साथ एक वार्षिक बैठक की जाएगी। – **संस्कृति मंत्रालय**	केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ एएसआई की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। ऐसी विगत बैठक 15.10.2014 को आयोजित की गई थी। 218 वक्फ संपत्तियां सूचित की गई हैं, जिनकी सुरक्षा एएसआई द्वारा की जानी है। संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई को क्षेत्रीय स्तर पर वक्फ संपत्तियों की पहचान की कार्रवाई तेज करने और उन्हें रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए निर्देश दिया है।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
2.	वक्फों को गरीबों के कल्याण के	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र	**क्रियान्वित।**

	लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु समर्थ बनाने के लिए वक्फ परिसंपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक उपयुक्त एजेंसी गठित की जाएगी। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	का उपक्रम नामतः राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको) पूरे देश में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास को वित्त पोषित करने हेतु 500 करोड़ रु0 की प्राधिकृत अंशपूंजी और 100 करोड़ रु0 की प्रदत्त पूंजी के साथ हाल ही में निगमित किया गया है।	
3.	(क) वक़्फों से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाएं प्राप्त होने के बाद वक्फ अधिनियम में संशोधन हेतु एक विधेयक संसद में लाया जाएगा। (ख) मॉडल वक़्फ नियमावली तैयार की जाएगी तथा जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी नियमावली नहीं बनाई है उन्हें अग्रसारित की जाएगी। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	(क) वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2010 दिनांक 7 मई, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। फिर इस विधेयक को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया था। प्रवर समिति तथा विभिन्न अन्य पणधारियों के सुझावों के आधार पर, 19 अगस्त, 2013 को राज्य सभा द्वारा वक़्फ (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया गया है। विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और वक़्फ संशोधन अधिनियमित हो गया है। (ख) वक्फ संशोधन अधिनियम के पश्चात, मॉडल वक़्फ नियमावली तैयार की जा रही है।	**क्रियान्वित।**
4.	राज्यों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करें ताकि वक्फ परिसंपत्तियों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा सके। **– शहरी विकास मंत्रालय**	(क) 10 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा 03 संघ राज्य क्षेत्रों यथा चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी ने अपने वक्फ संपत्तियों को छूट देने हेतु संबंधित किराया नियंत्रण अधिनियमों में संशोधन किए हैं। (ख) सात राज्यों नामतः असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने सूचित किया है कि मामला विचाराधीन है। (ग) 03 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः मणिपुर, ओडिशा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने स्वष्ट किया है कि राज्य में किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं है। (घ) अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और दमन एवं दीव द्वारा सूचित किया गया है कि उनके यहां कोई वक्फ संपत्तियां नहीं है। (ङ) गोवा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गोवा, दमन एवं दीव के निर्माण (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1968 में धर्मार्थ न्यास अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सोसाइटी सहित धार्मिक एवं पूर्त न्यासों पर परिसरों को छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। (च) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वक्फ संपत्तियां धर्मार्थ सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत हैं, अतः छूट देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा	**क्रियान्वित।**

		महाराष्ट्र आरसीए, 1999 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। (छ) तमिलनाडु सरकार ने पहले ही काश्तकार अभिधारी संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा तमिलनाडु काश्तकार अभिधारी (उचित किराये का भुगतान) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धार्मिक न्यास को छूट दे रखी है। राज्य सरकार की अपने दायरे से वक्फ भूमियों की छूट हेतु उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करने की मंशा नहीं है क्योंकि इन अधिनियमों को केवल धार्मिक न्यासों के संरक्षण के उद्देश्य से ही अधिनियमित किया गया है। (ज) त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर तथा दादरा नगर हवेली सरकार की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	

7. विविध मुद्दे

क्रम सं.	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय	की गई कार्रवाई	स्थिति
1	गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों, जिसमें अन्य के साथ–साथ घरेलू कामगार शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद में एक विधेयक लाया जाएगा। – **श्रम और रोजगार मंत्रालय**	श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया जा चुका है, जिसमें अन्यों के साथ–साथ घरेलू कामगार भी शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (5 की एक ईकाई) के लिए परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000 रु0 वार्षिक के प्रसूति लाभ कवर सहित स्मार्ट कार्ड आधारित नकदरहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चला रहा है। यह योजना 01.04.2008 से चालू हो गई है। 3. 69 करोड़ से अधिक परिवार इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। दिनांक 28.02.2014 की स्थिति के अनुसार, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुद्दुचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। कार्यान्वयन की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ बीपीएल परिवारों के साथ–साथ विभिन्न श्रेणियों अथवा असंगठित कामगारों यथा भवन	**क्रियान्वित।**

		एवं अन्य निर्माण कामगारों, लाइसेंसशुदा रेलवे कुलियों, गली विक्रेताओं, मनरेगा कार्मिकों (जिन्होंने पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान पंद्रह दिनों से अधिक तक काम किया है) बीड़ी कामगारों, घरेलू कामगारों, सफाई कर्मचारियों, खदान कर्मियों, रिक्शा चालकों, कतरन बीनने वालों तथा ऑटो/टैक्सी चालकों को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को चरणबद्ध सभी असंगठित कार्मिकों तक फैलाने की परिकल्पना की गई है।	
2	परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है तथा सच्चर समिति की रिपोर्ट में व्यक्त चिंताओं पर समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा – **विधि और न्याय मंत्रालय**	परिसीमन संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ संसदीय और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित सभी मामलों पर विचार किया था और आगे की कुछ कार्रवाई का सुझाव दिए थे। तत्पश्चात, उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार, परिसीमन अधिनियम पर मंत्री समूह द्वारा विचार किया गया और उसे मंत्रिमंडल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात, मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 प्रख्यापित हुआ जो बाद में परिसीमन अधिनियम, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।	**क्रियान्वित।**
3	सरकारी कार्मिकों, विशेषकर फील्ड स्टाफ को जागरूक बनाने के लिए समुचित प्रशिक्षण माड्यूल्स, फिल्म्स और सामग्री तैयार की जाएगी और उन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनका प्रयोग सेवा में प्रवेश तथा सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा सके। – **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग**	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में पहले ही कार्रवाई की और राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को प्रशिक्षण हेतु माड्यूल दे दिये गये हैं।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
4	संसद साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और प्रभावितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 पारित करने का विचार कर रही है। इसमें निवारण स्वरूप दांडिक उपबंधों, दंगा पीडितो के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र और विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। – **गृह मंत्रालय**	देश में सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दों के सभी पहलुओं से निपटने के लिए दिनांक 05.12.2005 को राज्य सभा में "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं प्रभावितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षकयुक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए राज्य सभा में नोटिस दिया गया था। तथापि, इन अवसरों पर विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका। तदनन्तर, "साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2013" तैयार किया गया था। उक्त विधेयक को दिनांक 16.12.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। राज्य सभा में विधेयक के पुरःस्थापन के लिए दिनांक 17.12.2013 को नोटिस भेजा गया था किंतु इसे पुरःस्थापित नहीं किया जा सका। संसद के शीत सत्र में "साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2014" शीर्षकयुक्त विधेयक के पुरःस्थापन के लिए 21.01.2014 को राज्य सभा में पुनः	**क्रियान्वित।**

		नोटिस दिया गया था। तथापि, सदन ने दिनांक 05.02.2014 को राज्य सभा में विचार–विमर्श के उपरांत इसके पुरःस्थापन को आस्थगित कर दिया था। "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं प्रभावितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षकयुक्त विधेयक, जो राज्य सभा में लंबित था, को 05.02.2014 को वापिस ले लिया गया है।	
5	सामाजिक आमेलन की जरूरत पर बल देने के लिए एक मल्टी–मीडिया अभियान चलाया जाएगा। – **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अन्य भाषाओं के साथ ही उर्दू भाषा में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार के लिए एक मल्टी–मीडिया अभियान चलाया गया है।	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।
6	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक तथा थानों में मुस्लिम पुलिस कर्मी की नियुक्ति की अनुशंसा पर विचार करें। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समुचित दिशा–निर्देश जारी करेंगे। इसकी निगरानी के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नोडल विभाग होगा। – **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग**	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक तथा थानों में मुस्लिम पुलिस कर्मी की नियुक्ति संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अनुदेश जारी किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीओपीटी द्वारा उक्त मंत्रालयों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है। डीओपीटी ने इस संबंध में वार्षिक सलाह जारी किया है। जहां, इन मंत्रालयों ने परिपत्र जारी किए हैं, डीओपीटी ने इस संबंध में वार्षिक सलाह जारी है। एमएचए में उपलब्ध सूचनानुसार, 2014 (30.06.2014) के दौरान, 2123 मुस्लिम पुलिस कार्मिक (3.2%) 12 राज्यों में थानों में तैनात है। यह सूचना छमाही आधार पर एमएचए द्वारा एकत्र की जाती है। यह भी सूचित किया था कि केरल राज्य सरकार यह बताते हुए रिपोर्ट नहीं भेज रही है कि राज्य में धार्मिक विचारों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती में कोई शर्त नहीं है। एमएचएफडब्ल्यू ने सूचित किया है कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पीएचसी/सीएचएस में मुस्लिम कार्मिकों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की सलाह जारी की गई है। 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, यथा मणिपुर, लक्षद्वीप, हरियाणा, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, झारखंड, केरल, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम, नागालैंड, चंडीगढ़, पुदुचेरी, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम एवं बिहार ने पीएचसी/सीएचएस आदि में तैनात मुस्लिम कार्मिकों के ब्यौरो की सूचना दी है। शेष राज्यों ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.01.2015 को उन्हें शीघ्र सूचना भेजने हेतु अनुस्मारक जारी किया गया है।	**क्रियान्वित।**

<table>
<tr><td>7</td><td>प्रारम्भतः केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नागरिक अधिकार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ताकि सामाजिक आमेलन की महत्ता को बढावा दिया जा सके। – मानव संसाधन विकास मंत्रालय</td><td>अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति का अध्ययन करने के लिए 35 विश्वविद्यालयों ने केंद्र शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, 23 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 114 राज्य विश्वविद्यालयों, 12 मानद विश्वविद्यालयों तथा 2179 कॉलेजों में 2328 समान अवसर केंद्र (सीईओ) स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वीं योजना के दौरान 46.07 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की है।</td><td>क्रियान्वित।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) छोटे और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत धनराशि प्रवाह को सुगम बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों और शहरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) में नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में यथापरिकल्पित अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल किये जा सकें।
– शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय</td><td>मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी योजनाओं के तहत, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान हो।

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को विशिष्ट तौर पर लक्षित नहीं किया जाता है। परियोजनाएं मिशन सिटी तथा समग्र रूप से उसकी आबादी के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसे शहरों में आने वाले अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को इनके लाभ स्वतः ही मिल जाते हैं।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 30.09.2014 तक प्राप्त संचयी उपलब्धियां निम्नानुसार हैंः–

<table>
<tr><td>संघटक/उप–योजना का नाम</td><td>अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों हेतु परियोजना लागत (करोड़ रू0 में) तथा कुल का %</td><td>नगरों/शहरों की सं0 (कुल का %)</td></tr>
<tr><td>शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत एमसी शहरों में स्वीकृत शहरी विकास परियोजनाएं (बीएसयूपी)</td><td>6253.81 (23.60 %)</td><td>17 (26.15 %)</td></tr>
<tr><td>समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एमसी शहरों में स्वीकृत शहरी विकास परियोजनाएं (आईएचएसडीपी)</td><td>2133.09 (19.62 %)</td><td>102 (11.51 %)</td></tr>
<tr><td>शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत एमसी शहरों में स्वीकृत शहरी विकास परियोजनाएं</td><td>10259.78 (15.81 %)</td><td>19 (29.23 %)</td></tr>
<tr><td>लघु एवं मझौले नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना</td><td>2048.91 (16.47 %)</td><td>95 (11.57 %)</td></tr>
</table></td><td>क्रियान्वित।

तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।</td></tr>
</table>

		(यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत एमसी शहरों में स्वीकृत शहरी विकास परियोजनाएं	
9	राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाएगी कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढाएं। – **पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय**	राज्य सरकारों को पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालयों द्वारा स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की सलाह दी है। **I. शहरी स्थानीय निकायों के लिए की गई कार्रवाईः** (क) निम्नलिखित 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने या तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुधार लाने के लिए कार्रवाई की है अथवा स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हैः आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ओडिशा, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल। (ख) अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने सूचित किया है कि किसी भी समुदाय को धार्मिक और भाषायी आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, मौजूदा परिषद् में निगम चुनावों में सामान्य तौर पर चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सदस्य हैं। (ग) अरूणाचल प्रदेश ने बताया है कि उनका यह दृष्टिकोण है कि संपूर्ण राज्य में विभिन्न जनजातीय समूह निवास करते हैं, जिनमें से कुछ अन्य मत में परिवर्तित हो गए हैं। तथापि, वे अनुसूचित जन जाति के रूप में सुविधाओं और सामाजिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं। (घ) छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया है कि राज्य में आंध्र प्रदेश मॉडल अंगीकार करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि उसका जनांकिकीय परिदृश्य आंध्र प्रदेश से भिन्न है। तथापि, राज्य सरकार अपने परिप्रेक्ष्य और परिस्थितियों में वैकल्पिक मॉडल पर विचार कर रही है। (ङ) गोवा में शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। (च) हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपिल अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है। **II. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए की गई कार्रवाईः** पंचायती राज मंत्रालय ने आंघ्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए सभी राज्य सरकारों को अपेक्षित सलाह जारी की है। इनकी समय–समय पर पुनरावृत्ति की जाती है।	**क्रियान्वित।**

		(क) निम्नलिखित 9 राज्यों ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संगत अधिनियम में समुचित प्रावधान मौजूद हैं अथवा ग्रामीण स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और गोवा। (ख) 11 राज्यों नामतः, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दादर एवं नगर हवेली ने सूचना प्रस्तुत नहीं की है। (ग) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मामाला विचाराधीन है। (घ) गुजरात, ओडिशा और पुडुचेरी की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि इसे अभी क्रियान्वित किया जाना है/इस पर विचार किया जाना है। (ङ) अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, चंडीगढ़, दमन एवं दीव ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यकों के अलग से प्रतिनिधित्व के लिए न तो कोई प्रावधान मौजूद है अथवा न ही ऐसे प्रावधान बनाना संभव है। (च) मेघालय, मिजोरम और नागालैंड गैर पार्ट–IX राज्य हैं– चयनित पीआरआई को संविधान द्वारा अधिदेश प्राप्त नहीं है। (छ) हरियाणा ने सूचित किया है कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। (ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने सूचित किया है कि पंचायती राज संस्थान ने 1990 में संघ राज्य क्षेत्र में अतिलंघन कर दिया गया है और इसे पुनर्जीवित नहीं किया गया है। अतः, दिल्ली सरकार की ओर से कोई अनुशंसा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। सिक्किम राज्य ने बताया है कि उनके यहां कोई मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। तथापि, 90% आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी को उनकी आबादी के अनुसार दिया जा रहा है।	
10	अल्पसंख्यक बहुल जिलों, ब्लॉकों और नगरों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना संबंधी सूचना का प्रसार उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में किया	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों/ब्लॉकों/नगरों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को लोकप्रिय बनाने हेतु उर्दू तथा क्षेत्रीय भाषाओं में हिमायत और आईईसी अभियान के माध्यम से प्रभावी उपाय करें। दिनांक 26.11.2013 को	**क्रियान्वित।** तथापि, की गई कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

	जाएगा। ऐसी सेवाएं सुलभ कराना सुनिश्चित करने के साथ–साथ गर्भनिरोध के संबंध में अनेक विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे।– **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**	आयोजित बैठक में, इस मामले पर राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई थी और 15 राज्यों ने प्रत्युत्तर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन विभाग, गर्भनिरोध के विभिन्न विकल्पों, जो देश के सभी नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं, के माध्यम से गर्भनिरोध की अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने पर फोकस करता है। ग्राहकों को घर–घर जाकर गर्भनिरोधक उपलब्ध कराने के लिए आशा को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह योजना दिनांक 17.07.2011 को 17 राज्यों के 233 उच्च फोकस जिलों में आरंभ की थी। तथापि, योजना को पूरे देश में लागू किया गया है।	

*****